

4

18

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर

4
194-06

प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 19.4.2006 का कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की चतुर्थ बैठक आज दिनांक 19.4.2006 को प्रातः 11.30 बजे कुलपति महोदय के कक्ष में आयोजित की गई जिसमें सलग्न परिशिष्ट (अ) के अनुसार माननीय सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा कुलसचिव को बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार प्रारम्भ करने का कहा।

बैठक में हुई चर्चा एवं लिये गये निर्णय निम्नप्रकार है :-

1. गत बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि :-

गत बैठक दिनांक 6 जनवरी, 2006 के कार्यवाही विवरण में लिये गये वे निर्णय जिन पर पालना अपेक्षित थी उनके संबंध में कुलसचिव द्वारा विस्तार से बिन्दुवार विवरण सदन के समक्ष रखा।

गत बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री डी.सी. जैन द्वारा यह बताया कि उनके तथा अन्य सदस्यों के द्वारा बैठक में जो सुझाव दिये गये थे उनका विवरण बैठक की कार्यवाही विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिस पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि गत बैठक में जिन बिन्दुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है उन बिन्दुओं के संबंध में आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में विचार-विमर्श कर सम्मिलित कर लिया जावेगा।

गत बैठक की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2006/29 जिसमें विधि सहायक की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्णय लिया गया था, के संबंध में माननीय सदस्य श्री ओ.पी. महेन्द्रा द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में किसी भी नियुक्ति के संदर्भ में चयन हेतु लिखित परीक्षा या अन्य किसी विधि से मापदण्ड निर्धारित करके छँटनी की जाकर यथोचित मात्रा में ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए। इस बिन्दु पर माननीय प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्री बी.एल. जाटावत द्वारा यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति में चयन के दौरान निर्धारित आरक्षण तथा बैकलॉग का भी ध्यान रखा जावे।

उक्त दोनों ही बिन्दुओं के संदर्भ में नवीन नियुक्ति करने के समय ध्यान रखे जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया।

2. कुलपति की चयन समिति हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन करना :-

कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा राजभवन से चयन समिति हेतु प्राप्त पत्र दिनांक 13.2.2006 का विवरण सदन के समक्ष रखा जाकर यह अनुरोध किया गया कि बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 2003 की धारा 11 (1) (i) के अन्तर्गत चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन किया जाना है जोकि विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित ना हो ।

माननीय सदस्य श्री ओ.पी. महेन्द्रा द्वारा श्री बी. एल. चौधरी कुलपति, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम प्रस्तावित किया जिस पर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन कर स्वीकार किया गया ।

उक्त चयन समिति के लिए मनोनीत सदस्य श्री बी.एल. चौधरी के नाम, पते व टेलीफोन नम्बर का विवरण परिशिष्ट (ब) संलग्न है ।

3. कु. शाहीन जेहरान की बी.ए. पार्ट - I परीक्षा की अंकतालिका एवं नामांकन निरस्त करने के अनुमोदन के संबंध में :-

कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा करण चेतल बनाम बीकानेर विश्वविद्यालय से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7099/2005 तथा विश्वविद्यालय के कानूनी पैनल एवं एडवोकेट श्री डी.डी. चितलंगी द्वारा प्रस्तुत कानूनी राय के संबंध में अवगत कराया । इसी प्रकरण के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा भी सदन में विस्तार से जानकारी दी जाकर यह अवगत कराया कि छात्रा कु. शाहीन जेहरान का बी.ए. पार्ट-I परीक्षा वर्ष 2004 एवं 2005 के रिजल्ट को निरस्त किया जाकर अंकतालिका एवं नामांकन विश्वविद्यालय के अध्यादेश 169 एच के अन्तर्गत रद्द किया जाकर संबंधित प्राचार्य को सूचित किया जा चुका है, जिसका अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है ।

उक्त संबंध में माननीय सदस्यों के समक्ष विस्तार से विचार-विमर्श के पश्चात् सदन द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2004 एवं 2005 के परीक्षा परिणाम को निरस्त कर अंकतालिका एवं नामांकन रद्द करने की बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।

4. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित अन्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया एवं निर्णय लिये गये :-

(अ) माननीय सदस्य श्री ओ. पी. महेन्द्रा द्वारा विधि संकाय में प्रवेश के संबंध में राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों के छात्रों के प्रवेश के बिन्दु को उठाया जाकर यह अवगत कराया कि राज्य से बाहर के छात्रों को प्रवेश देने में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए । इस पर कुलपति महोदय द्वारा वर्तमान में विधि संकाय में प्रवेश की प्रचलित व्यवस्था से अवगत कराया जिस पर सदन में विचार-विमर्श किया जाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान एवं अन्य राज्यों के छात्रों के प्रवेश के संबंध में समानता का व्यवहार किया जावे एवं किसी प्रकार का भेद नहीं किया जावेगा ।

(ब) माननीय सदस्य श्री एम.एल. शर्मा द्वारा विकास शुल्क की राशि का महाविद्यालयों में वितरण तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना की जानकारी चाही जाने पर उनको वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2005-06 में प्रचलित फीस स्ट्रेक्चर से अवगत कराया गया जिसपर माननीय सदस्य श्री एम.एल. शर्मा तथा श्री डी.सी. जैन द्वारा वर्ष 2005-06 की विकास शुल्क की राशि में से 50 प्रतिशत की राशि महाविद्यालयों को नहीं दी दिये जाने पर ऐतराज व्यक्त किया । उक्त संबंध में कुलपति महोदय द्वारा विस्तार से जानकारी दी ।

विकास शुल्क की राशि के संबंध में विचार-विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि हालांकि सत्र 2004-05 में विकास शुल्क के नाम से फीस नहीं ली गयी । लेकिन चूंकि फीस गत वर्ष की तुलना में अधिक थी और न.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा रु.50/- विकास शुल्क ली जा रही है यह मानकर रुपये 50/- की 50 प्रतिशत राशि महाविद्यालयों दे दी जावे । वर्ष 2005-06 में विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से सम्पन्न समझौता में यह माना गया था कि विश्वविद्यालय विकास शुल्क नहीं ले रहा है अतः वर्ष 2005-06 में चूंकि विकास शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से वसूल नहीं किया जाने की स्थिति निर्धारित करते हुए यह तय किया गया कि वर्ष 2005-06 में जब विकास शुल्क ही नहीं लिया गया तो महाविद्यालयों को इस सत्र की कोई राशि देय नहीं बनती है । आगामी शिक्षा सत्र वर्ष 2006-07 में वसूल की जाने वाली विकास शुल्क की राशि में से आधी राशि महाविद्यालय की कटौती कर शेष 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दें ।

(स) माननीय सदस्य श्री ओ.पी. महेन्द्रा द्वारा यह अवगत कराया कि कुछ परीक्षा केन्द्र ऐसे बना दिये जाते हैं कि जहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव है तथा परीक्षा केन्द्र के लिए वे उचित एवं फिट नहीं हैं । इस पर उनका सुझाव था कि परीक्षा केन्द्र के निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई जाकर प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण कराकर उचित पाये जाने पर ही परीक्षा केन्द्र बनाया जावे ।

माननीय सदस्य श्री बी.पी. सारस्वत द्वारा इस संबंध में यह निवेदन किया कि जिस परीक्षा केन्द्र में समुचित सुविधाएं नहीं हैं उन परीक्षा केन्द्रों की पुनः समीक्षा की जाकर

आगामी परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाना चाहिए । उक्त सुझाव के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा आगामी परीक्षाओं में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आश्वासन दिया

(द) माननीय सदस्य श्री ओ.पी. महेन्द्रा द्वारा विश्वविद्यालय में नवीन नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि को दो वर्ष से एक वर्ष किये जाने के संबंध में चर्चा किये जाने पर कुलपति महोदय द्वारा यह अवगत कराया कि इस संबंध में नियम, प्रावधान एवं नियुक्तियों की शर्तों आदि का परीक्षण करके यथोचित निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा ले लिया जावेगा तथा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदन की आवश्यकता हुई तो अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।

(य) माननीय सदस्य श्री बी. एस. आर्य द्वारा खर्चों की कटौति के संबंध में कम्प्यूटर एजुकेशन तथा लॉ में प्रेक्टिकल परीक्षा के दौरान परीक्षक को दी जाने वाली राशि में कमी के संबंध में सुझाव दिये जाने पर कुलपति महोदय द्वारा वर्तमान स्थिति की विस्तार से जानकारी दी गई । जिस पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ ।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटर एजुकेशन तथा लॉ तथा उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमुल्यांकन में अजमेर विश्वविद्यालय द्वारा जो राशि रेमुनरेशन के रूप में दी जा रही है उतनी राशि ही बीकानेर विश्वविद्यालय में आगामी शिक्षा सत्र से प्रदान करने की कार्यावाही की जावे ।

(र) माननीय सदस्य श्री ओ. पी. महेन्द्रा द्वारा प्रश्न पत्र तैयार कराने एवं उत्तरपुस्तिकाओं के परीक्षण कार्य में विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं की वरिष्ठता का ध्यान रखे जाने हेतु ध्यान आकृषित किये जाने पर कुलपति महोदय द्वारा विस्तार से प्रश्न पत्र तैयार कराने की व्यवस्था से अवगत कराते हुए वर्तमान शिक्षा सत्र में उत्तरपुस्तिकाओं को जाँचने हेतु की गई व्यवस्था की जानकारी दी । प्रश्न पत्र तैयारी के संबंध में महाविद्यालयों से संकायवार एवं विषयवार व्याख्याताओं का पैनल तैयार करने के संबंध में महाविद्यालयों द्वारा अनुभव का विवरण सम्मिलित करते हुए सूची प्राप्त करने के संबंध में माननीय सदस्य श्री एम.एल. शर्मा द्वारा सुझाव दिया गया । माननीय सदस्य श्री बी.पी. सारस्वत द्वारा BOM की भावना से BOS के माननीय सदस्यों को अवगत कराने का निवेदन किया, जिस पर यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को संकायवार, विषयवार व्याख्याताओं का वरिष्ठता एवं अनुभव युक्त विवरण पैनल प्राप्त किया जाकर BOS में संबंधित कन्वीनियर को उपलब्ध करवाया जाकर वरिष्ठता एवं अनुभव संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखने की BOM की भावना से उन्हें अवगत कराया जावे ।

(ल) माननीय सदस्य श्री सी.एम. कटारिया द्वारा पेपर सेटर को कापी नहीं भिजवाए जाने की परम्परा से पेपर सेटिंग में आनाकानी करने की प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए यह सुझाव दिया कि पेपर सेटर को भी उत्तरपुस्तिकाएँ जाँच हेतु भिजवा दी जावे तो इस समस्या का

साधान हो सकता है । इस पर कुलपति महोदय द्वारा यह अवगत कराया कि इस वर्ष की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को पेपर-सैटर व्याख्याताओं को भी जाँचने हेतु भिजवाने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में ही लिया जा चुका है । इसी के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है ।

(व) माननीय सदस्य श्री बी. एस. आर्य द्वारा कालेजों की स्थायी संबंधता की ओर ध्यान आकर्षित कर इस संबंध में विश्वविद्यालय से वस्तुस्थिति की सूचना चाहे जाने पर कुलपति महोदय द्वारा लम्बित चले आ रहे स्थायी संबंधता के प्रकरणों पर गत तीन माह में की गई कार्यवाही की जानकारी दी व यह आश्वासन दिया कि लम्बित संबंधता के मामलों का निस्तारण तीव्र गति से सम्पन्न किया जा रहा है ।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई ।

कुलसचिव

D.A. for appl. cl.

for 10.10.06

Regd. Secy.

Gh.
20/10/06

VC sb.

apprec

for 10.10.06